	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 10, मंगलवार, *शाके* 1944-नवम्बर 01, 2022 *Kartika 10, Tuesday , Saka 1944- November 01, 2022*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

जयपुर अक्टूबर 31, 2022

सख्या एफ.7(76)रालसा/संस्था-पी.एल.ए.गठन/2022/561:-माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिशंषा पर, राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की आज्ञा संख्या पं.8(7)विधि-2/विरस(39)/2002 पार्ट ।।/327 दिनांक 28.10.2022 द्वारा अनुमोदन उपरान्त, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्संबधित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तो) नियम, 2003 के अधीन राज्य सरकार द्वारानिम्न जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालयों पर संस्थापित स्थाई लोक अदालत में सेवानिवृत्त या निवर्तमान न्यायिक अधिकारीगण की पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) एवं स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तो) नियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं इस प्राधिकरण के द्वाराप्रसारित दिशा-निर्देशों के अधीन वर्तमान में कार्यरत जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त प्रभार को समाप्त करते हुए पूर्णकालिक अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत के पद पर एतद्द्वारा नियुक्ति निम्न प्रकार की जाती हैः-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम वरीयता के अनुसार) सर्व श्री/श्रीमती)	स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष पद हेतु पदस्थापन स्थान	स्थाई लोक अदालत का क्षेत्राधिकार
1	अनिता शर्मा	अलवर	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
2	शहाबुद्दीन	भीलवाडा	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
3	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	चित्तौडगढ	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
4	अजय कुमार शर्मा पुत्र स्वदेवकीनन्दन शर्मा	दौसा	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
5	उमाशंकर शर्मा	धौलपुर	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
6	अनूप कुमार सक्सैना	जयपुर जिला	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
7	रामेश्वर दयाल रोहिला	हनुमानगढ	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
8	नरसिंह दास व्यास	श्रीगंगानगर	सम्पूर्ण जिला न्यायक्षेत्र

01. क्रम सं. 1 से 8 पर अंकित अधिकारीगण को आदेश का राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

02. उक्त नियुक्तियां विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्संबंधित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 एवं प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।

03. उक्त स्थानों पर उपलब्ध ए.डी.आर. भवन/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवन में स्थाई लोक अदालत का संचालन होगा।

04. क्रम सं. 1 से 8 पर अंकित अधिकारी की नियुक्ति प्रारम्भिक तौर पर कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
दिनेश कुमार गुप्ता,
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।